निर्णय

दिनाक..........

1.— वादीया ने एक वाद—पत्र दिनांक 01.04.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम स्वरूपदेसर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 220 तादादी 10.91 हैक्टेयर, खसरा नंरब 221 तादादी 5.77 हैक्टेयर, खसरा नबर 222 तादादी 6.86 हैक्टेयर, खसरा नबर 223 तादादी 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 225 तादादी 1.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 226 तादादी 1.62 हैक्टेयर, खसरा नंबर 227 तादादी 9.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 228 तादादी 13.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 229 तादादी 6.72 हैक्टेयर कुल तादादी 56.58 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीनी का 6.13 हैक्टेयर हिस्सा है। शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से की है। वर्तमान में वादीया खसरा नंबर 221, 225 में 6.13 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि वादीनी को जरिये गिफ्ट डीड दिनांक 17.06.2015 को उमाराम पुत्र दुरसीराम जाति जाट निवासी बच्छासर बीकानेर से प्राप्त हुई। गिफ्ट शुदा कृषि भूमि का बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा गिफ्फकर्ता का चला आ रहा था, जो गिफ्ट डीड के पश्चात् निरन्तर वादीनी का कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीनी के कब्जाशुदा खसरा नंबर 221 व 225 की 6.13 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन कर, लगान अलग कायम कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

2.— प्रतिवादीगण को समन मुदायलाह बिनावर कायमी तनकीयात तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 20 ने समन लेने से इन्कारी की। उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा है। प्रतिवादी संख्या 8 देवाराम की ओर से एडवोकेट श्री अजय कुमार ओझा ने बकालतनामा एंव इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनने का निवेदन किया।

3.— बहस उभयपक्ष विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद—पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए वादीनी के कब्जा शुदा भूमि को खाता विभाजन में प्राप्त करने का निवेदन किया। वादीनी के कब्जा काश्त की पुष्टि इकबाल जवाब दावा में प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा की गयी है। वकील प्रतिपक्ष ने वकील वादी के कथनों पर सहमति प्रकट करते हुए अपने हिस्से की 1/48 भूमि को विभाजन कर अलग खाता कायम किये जाने का निवेदन किया।

4.– पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित कृषि भूमि में वादीया जरिये गिफ्ट डीड खातेदार काश्तकार है। सहखातेदारी में काश्तकार अपने हिस्से की भूमि को विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है।

5.– अतः वाद वादीया, वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 8 की हद तक स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री सादिर की जाती है तथा तहसीलदार बीकानेर को आदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में से वादीनी का 6.13 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/48 हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग रंग से नक्शे में दर्शाते हुए व राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार प्रत्येक काश्तकार को उसके खेत तक पहुंचने हेतु रास्ता दर्शाते हुए भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जा सके। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को भिजवाई जावे।

6.– निर्णय आज दिनांक 16/10 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(अभिषेक सुराणा)
(IAS प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बीकानेर